लाल बहादुर शास्त्री पैरामेडिकल काउंसिल
उत्तर प्रदेश
द्वितीय तल सुनील कॉम्प्लेक्स, नियर आर०जी०डिग्री कॉलेज मेरठ 250002
फोन: 0121-4349311/8057728847
वैबसाइट : www.lbspc.in
ई-मेल: lbspcup@gmail.com

Ref No. LBS/306/2023
Date: 18/10/2023

Lal Bahadur Shastri Paramedical Council (Uttar Pradesh)
2nd Floor Sunil Complex Near RG PG College Meerut 250002
Phone: 0121-4349311/8057728847
Website: www.lbspc.in
Email id: lbspc@gmail.com

केंद्र कोड: 109

सेवा में,
निदेशक/प्राचार्य
महात्मा गांधी ग्रुप ऑफ कॉलेज एंड पैरामेडिकल साइन्स
हिन्दू चकिया पोस्ट ऑफिस अंचल चकिया जिला ईस्ट चंपारण बिहार 845412

विषय: शैक्षिक सत्र 2023-24 की केंद्र प्राधिकार प्रमाण पत्र के संबंध में-

महोदय/महोदया,

उपयुक्त विषय के संबंध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि लाल बहादुर शास्त्री पैरामेडिकल काउंसिल, उत्तर प्रदेश के द्वारा सत्र 2023-24 हेतु आपके संस्थान को प्रदान की गई अस्थाई स्वीकृति पर **काउंसिल केंद्र स्वीकृति समिति** द्वारा विचारोपरांत की गई संस्तुतियों एवं इन संस्तुतियों के क्रम में निर्गत पत्रांक संख्या 110/सोलह-2023 दिनांक 21/03/2023 के अनुसार स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु काउंसिल द्वारा आपके केंद्र को अस्थाई स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Sr. No.	Course
1.	Diploma in Medical Lab Technician
2.	Diploma in Community Medical Service and Essential Drug
3.	Diploma in X- Ray Technician
4.	Diploma in Optometry
5.	Diploma in Medical Record Technology
6.	Diploma in Anesthesia
7.	Diploma in Yoga and Naturopathy Science
8.	Diploma in Operation Theater Technician
9.	Diploma in Dental Mechanics Technology
10.	Certificate in Veterinary and Animal Science

उपरोक्त केंद्र अस्थाई स्वीकृति (सत्र 2023-25) निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

1. लाल बहादुर शास्त्री पैरामेडिकल काउंसिल, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाएं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन-पाठन/पाठ्यक्रम, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फ़ैकल्टी अनुपात, रैगिंग निरोधक तथा काउंसिल के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण में दर्शायी गई कमियाँ/मानको को पूर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति को प्रदत्त अस्थाई स्वीकृति स्वत: निरस्त समझी जाएगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/ प्रबंधतंत्र का होगा।

2. निरीक्षण मण्डल द्वारा अवस्थापना सुविधाओं एवं सेवायोजित शिक्षकों के सत्यापन के साथ-साथ संस्थान के लेखा का ऑडिट भी काउंसिल द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।

3. लाल बहादुर शास्त्री पैरामेडिकल काउंसिल, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रवेश/शुल्क के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगा। साथ ही संस्थान शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित काउंसिल द्वारा वांछित सूचना उन्हें समय से उपलब्ध कराएगा। संस्थान द्वारा उपयुक्त अपेक्षाओं में विफल रहने पर अस्थाई स्वीकृति संबंधी विशेष अधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

4. संस्था को अस्थाई स्वीकृति प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय भरी गई सूचना/विवरण, तथा संबद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि काउंसिल के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई स्वीकृति स्वत: निरस्त समझी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।

5. कतिपय संस्थानों में प्रवेश क्षमता में अभिवृद्धि नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की स्वीकृति की इस शर्त के साथ प्रदान की गई है कि ऐसे संस्थान का काउंसिल द्वारा मानकानुसार, अवस्थापना एवं मानव संसाधन इत्यादि सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण काउंसलिंग प्रारंभ होने से पूर्व आवश्यकतानुसार कराया जा सकता है तथा निरीक्षण दल की अनुशंसा के क्रम में ही सत्र 2023-24 में प्रवेश की कार्यवाही संपन्न कराई जा सकेगी।

6. सत्र प्रारंभ होने से होने के उपरान्त यदि संस्था के प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो रिक्त होने की तिथि से तीन माह के अंदर रिक्त पद पर चयन की कार्रवाई पूर्ण कर नियुक्ति कर ली जाए जिसकी सूचना काउंसिल को अवश्य कराये।

7. सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व संस्थान काउंसिल को कार्यरत शिक्षकों के संबंध में दी गई सूची में उल्लेखित किसी भी शिक्षक को सत्र के दौरान बिना काउन्सल की लिखित अनुमति के सेवा से निकाला नहीं जा सकेगा।

8. सत्र प्रारंभ होने के पश्चात संस्था में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्थान छोड़ने की स्थिति में 15 दिन के अंदर काउंसिल को अवश्य सूचित करें।

9. संस्थान का शैक्षिक सत्र के अंतर्गत किसी भी समय औचक निरीक्षण काउंसिल द्वारा किया जा सकता है और उक्त औचक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के द्रष्टिगत अस्थाई स्वीकृति समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

10. आपकी संस्था को सम्पूर्ण बिहार राज्य का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, जिसमें आज की दिनांक के बाद आपके अतिरिक्त किसी अन्य संस्था को बिहार राज्य का सेंटर नही दिया जाएगा। जिसमें आपकी संस्था को सम्पूर्ण राज्य का कार्यभार सौन्पा जाता है कृपया इस उत्तरदायित्व का भार त्रुटिमुक्त रखने की योजना योजित करें।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, लाल बहादुर शास्त्री पैरामेडिकल काउंसिल, उत्तर प्रदेश।
2. सचिव, लाल बहादुर शास्त्री पैरामेडिकल काउंसिल, उत्तर प्रदेश।
3. परिक्षा नियंत्रक, लाल बहादुर शास्त्री पैरामेडिकल काउंसिल, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री पैरामेडिकल काउंसिल, उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाइल।

Sonam

Your Faithfully
(Dr. Sonam Arya)
Registrar
Lal Bahadur Shastri
Paramedical Council, Uttar
Pradesh